न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 227 / 2019
आरसीएमएस नं. 2019 / 00227

1. सुमन पुत्री भूपराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. विजय पुत्र भूपराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. गीता पुत्री भूपराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. अनिता पुत्री भूपराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

---अपीलांट

बनाम

1. भूपराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कानाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. विजेश्वरी पुत्री रामचन्द्र पत्नी चेतराम जाति जाट निवासी मोटासर खूनी तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. जगदीश पुत्र कालू गिर जाति गुसांई साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. संजीव कुमार पुत्र बाबूराम जाति सोनी वार्ड नम्बर–9, मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. मीरा देवी पत्नी स्व.फुसाराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. चावली पुत्री स्व.फुसाराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. गुड्डी पुत्री स्व.फुसाराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. दलीप पुत्र स्व.फुसाराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

10. दयाराम पुत्र स्व.फुसाराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. करमा पुत्री स्व.फुसाराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. कानी पुत्री स्व.फुसाराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
13. प्रभूराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
14. बंशीलाल पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
15. सिन्धरो पुत्री फूसाराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
16. रूपाराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
17. सुभाष पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
18. महेन्द्र पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।
20. कमला पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा

— रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2019
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा ।
अनवान ''सुमन आदि बनाम भूपराम आदि'', प्र. सं. 02/2018

उपस्थितिः—
श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता अपीलांट
श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 20
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 19

निर्णय दिनांक 01.07.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी ''सुमन आदि बनाम भूपराम आदि'' प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 6

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

बीआरपी के पत्थर नम्बर 23/361 किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 22/362 किला नम्बर 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 14 ता 17, 24, 25 की 2.530 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 23/362 किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की 3.795 हैक्टेयर कुल 12.650 हैक्टेयर भूमि मय गैर मुमकिन श्री फूसाराम व रामचन्द्र पिसरान श्योलाल जाति जाट साकिन मानकथेड़ी की बहिस्सा बराबर भूमि थी। वादीगण के दादा श्री रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा यानी 6.325 हैक्टेयर हिस्सा था। रामचन्द्र का स्वर्गवास दिनांक 14.07.1998 को हो चुका है। उनके दो पुत्र, एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व पत्नी रामेश्वरी है। रामचन्द्र के नाम दर्ज 6.325 हैक्टेयर भूमि हम वादीगण की पैतृक सम्पति है जिसमें रामचन्द्र के फौत होने पर हम वादीगण का अपने पिता प्रतिवादी संख्या–1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक हिस्सा निहित व प्राप्त हुआ है इसलिये रामचन्द्र के फौत होने पर विवादित 6.325 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा में वादी संख्या 1 ता 4, प्रतिवादी संख्या–1 का बहिस्सा बराबर का हक हिस्सा औद हुआ है। दादा श्री रामचन्द्र के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 सरपंच ग्राम पंचायत मानकथेड़ी से एक विधि विरूद्व वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाकर राजस्व अभिलेख मे रामेश्वरी बेवा रामचन्द्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम अंकन करवा लिया जबकि ग्राम पंचायत को वारिसनामा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर गलत तौर से 1/4 हिस्सा भूमि का राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम अंकन कर दिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या–1 का इस 1/4 हिस्सा 1.581 हैक्टेयर में 1/5 हिस्सा यानी 0.318 हैक्टेयर भूमि का हक हिस्सा निहित था। शेष 1.263 हैक्टेयर भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के हकदार व खातेदार हैं। प्रतिवादी संख्या–1 जो अनपढ है तथा प्रतिवादी संख्या–5 के आढ़त की दुकान है जहां प्रतिवादी भूपराम अपनी फसल बेचता था। इस दुकान पर प्रतिवादी संख्या–4 का लेन देन है तथा इसका प्रतिवादी संख्या–5 से घनिष्ठ सम्बंध है। हीरालाल पुत्र बीरबलराम जाति सुनार जो प्रतिवादी संजीव का सगा चाचा है तथा कृष्ण पुत्र भागीरथ बिश्नोई का भी प्रतिवादी संजीव की दुकान पर लेन देन व आढ़त है। इन्होनें एकराय होकर प्रतिवादी संख्या–1 भूपराम को धोखे में रखकर विधि विरूद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 08.06.2001 प्रतिवादी संख्या–5 संजीव के पक्ष में तहरीर व तस्दीक करवा लिया। प्रतिवादी संख्या–1 भूपराम को इस बैयनामा बाबत नहीं बताया और न ही भूपराम को इसकी जानकारी थी। तथाकथित बैयनामा दिनांक 18.06.2001 के समय इस भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 का 0.318 [illegible] हिस्सा था जबकि बैयनामा 1.581 हैक्टेयर का करवाया गया है [illegible] यह बैयनामा हिस्सा से अधिक भूमि होने के कारण [illegible] वादीगण के अधिकारों पर प्रभावहीन है। इस बैयनामा में भी यह तथ्य [illegible] किये हैं कि 6.325 हैक्टेयर भूमि रामचन्द्र पुत्र श्योलाल की है। बैयनामा दिनांक 18.06.2001 में वर्णित भूमि का भूपराम को कोई प्रतिफल नहीं दिया गया। इस बैयनामा की ताईद में 1.581

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हैक्टेयर भूमि का कब्जा प्रतिवादी संजीव कुमार को नहीं दिया गया। विवादित भूमि में किसी भी अंश पर किसी भी संजीव कुमार का कब्जा काश्त नहीं रहा। प्रतिवादी ने इस विधि विरूद्ध बैयनामा के आधार पर राजस्व अभिलेख में अपना नाम अंकित करवाकर प्रतिवादी संख्या–4 जगदीश से मिलीभगत कर इस भूमि का एक शुन्य विधि विरूद्ध दस्तावेज बैयनामा दिनांक 18.09.2007 को संजीव कुमार ने जगदीश के पक्ष में तहरीर व तस्दीक करवा दिया जबकि संजीव कुमार को इस भूमि में कोई हक व हिस्सा हासिल नहीं था और न ही उसे इस भूमि का कब्जा दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का कभी भी इस भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही इनका हक हिस्सा है। बैयनामा दिनांक 18.06.2001 में पत्थर नम्बर 23/361 किला नम्बर 10/.05, 11, 12, 19 ता 22 की 6.00 कुल 6.05 बीघा भूमि का कब्जा देना अंकित है जो कतई गलत है क्योंकि विवादित भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन व बंटवारा नहीं हुआ इसलिये प्रत्येक सह काश्तकार का कब्जा काश्त है। बैयनामा में वर्णित किला नम्बर प्रतिवादी भूपराम के कब्जा काश्त में भी नहीं थे इसलिये इन किला नम्बरों का कब्जा खरीददार को देना कतई गलत अंकित किया है। प्रतिवादी संख्या–5 के पक्ष में हुआ बैयनामा विधि विरूद्ध व शुन्य होने के कारण इस भूमि में प्रतिवादी संजीव कुमार को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं हुए थे इसलिये इस द्वारा करवाया गया प्रतिवादी संख्या–4 के पक्ष में बैयनामा भी अवैध, शुन्य व वादीगण के अधिकारों पर प्रभावहीन है। इन बैयनामा से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार हासिल नहीं होते हैं। वादीगण की दादी रामेश्वरी पत्नी रामचन्द्र दिनांक 02.05.2007 को फौत हो चुकी है। रामेश्वरी के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा यानी 1.581 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 का 1/3 हिस्सा यानी 0.327 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर बनता है इसलिये वाद पत्र में वर्णित 6.325 हैक्टेयर भूमि में 1.685 हैक्टेयर भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। इसी प्रकार से घोषणा पाने के हकदार हैं परन्तु राजस्व अभिलेख में यह भूमि प्रतिवादी संख्या–5 संजीव कुमार व रामेश्वरी पत्नी रामचन्द्र के नाम दर्ज है जिससे वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये वादीगण घोषणा पाने के हकदार हैं। विवादित भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें वादीगण अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज काश्त हैं परन्तु खाता अभी सांझा है इसलिये पक्षकारान के मध्य सींव बट व रकमराज को लेकर तनाजा बना रहता है इसलिये वादीगण अपना खाता तकसीम करवाकर रकमराज अलग कायम करवाने के हकदार हैं। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 विधि विरूद्ध दस्ता[illegible]आधार पर प्रतिवादी संख्या–5 के नाम हुए गलत अंकन का [illegible] भूमि को खुर्द बुर्द करने व अन्यत्र तरीके से रहन बै[illegible]प्रतिवादी संख्या–4 अपने नाम अंकन करवाने तथा विवादित भूमि में [illegible]लंदाजी कर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है इसलिये वादीगण स्थाई व्यादेश हर किस्म विरूद्ध प्रतिवादीगण पाने के हकदार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2\. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–4 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने परिवार वादीगण के भरण पोषण व परिवार के लिये कर्ज अदायगी के लिये अपनी खातेदारी भूमि को प्रतिवादी संख्या–5 संजीव कुमार को बैय कर दिया था व दिनांक 18.06.2001 को 1.581 हैक्टेयर भूमि का बैयनामा तस्दीक करवाकर उप पंजीयक के यहां पंजीयन भी करवा दिया था व उसी रोज भूमि का कब्जा भी सौंप दिया था। मिन प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या–5 संजीव कुमार से खातेदारी भूमि को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 18.09.2007 को क्रय किया था व उसी रोज पंजीकृत करवाकर भूमि का कब्जा भी प्राप्त कर लिया था व आज भी मिन प्रतिवादी भूमि काश्त कर रहा है। भूपराम के नाम भूमि का इन्तकाल पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर खातेदारी भूमि दर्ज की गई थी। अगर वादीगण को किसी भी प्रकार से इन्तकाल का एतराज था तो वे उस इन्तकाल की सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते थे, लेकिन वादी इन्तकाल के समय व बैयनामा करवाते समय पूर्ण सहमत थे लेकिन अब वादीगण बदयांत होकर यह दावा पेश कर रहे हैं। भूपराम ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुल 1,82,000/–रूपये प्राप्त कर अपनी खातेदारी भूमि संजीव कुमार को बैय की थी व भूमि का कब्जा भी सौंप दिया था। अगर भूपराम के साथ धोखा हुआ होता तो भूपराम धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करवा सकता था। उसके बाद संजीव कुमार ने उक्त भूमि मिन प्रतिवादी को बैय कर दी थी व बैयनामा पंजीयन करवाकर कब्जा उसी रोज मिन प्रतिवादी को सौंप दिया था लेकिन भूपराम ने आज तक बैयनामा धोखे से करवाने का व कब्जा हथियाने का कोई मामला संजीव कुमार व मिन प्रतिवादी के खिलाफ नहीं किया है। पंजीकृत बैयनामा को भी निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण अब बदयांतिपूर्वक यह झूठा व मनगढन्त दावा मिन प्रतिवादी के खिलाफ पेश किया है जो काबिल खारिज के है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1– आया प्रश्नगत भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है ?

—— वादीगण

2– आया प्रतिवादी संख्या–1 को विरासतन में प्राप्त 1.518 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में संजीव कुमार के नाम दर्ज है इस भूमि में वादीगण का 1.263 हैक्टेयर हक व हिस्सा है।

—— वादीगण

3– आया संजीव कुमार व [illegible] के पक्ष में बैयनामें विधि विरूद्व व शुन्य व प्रभावहीन है ?

—— वादीगण

4– आया वादीगण अपने संरक्षक माता की [illegible] सहमति से अपना तमाम हिस्सा दिनांक 18.06.2001 को बैय कर दिया था ?

—— प्रतिवादी संख्या–4

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी (राज.) हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5– आया प्रश्नगत भूमि पर खरीद के समय से ही कब्जा काश्त खरीददारान का है ?

— प्रतिवादी संख्या–4

6– आया दावा पंजीकृत बैयनामा निरस्त करवाये बगैर पेश किया है इसलिये काबिल खारिज के है ?

— प्रतिवादी संख्या–4

7– अनुतोष ?

3. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण व प्रतिवादीगण की साक्ष्य पेश होने के उपरांत उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 16.04.2012 को निर्णय व डिक्री पारित कर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया। इस निर्णय व डिक्री के खिलाफ रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या–4 जगदीश ने इस न्यायालय में अपील बअनवानी "जगदीश बनाम सुमन" अपील संख्या 68/2012 पेश की जो दिनांक 09.11.2017 को आंशिक स्वीकार कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि प्रश्नगत बैयनामा भूपराम द्वारा कर्ता खानदान की हैसियत से परिवार की जायज आवश्यकताओं एवं हित के लिये बेचान किया है। मृतका रामेश्वरी देवी के हिस्से की भूमि का विरास्तन उसके विधिक उत्तराधिकारीगण के पक्ष में निर्धारण करते हुए भूपराम द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की वैधानिकता पर वाद में विरचित विवाद्यकों का तनकीवार पुनः विवेचन करते हुए समुचित आदेश पारित करे, पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर इस बिन्दु को अभिनिर्धारित करें। इस निर्णय की पालना में यह पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुई। इस भूमि बाबत एक दावा "कानाराम बनाम जगदीश आदि" भी पेश हुआ था जिसका भी निर्णय इसके साथ करते हुए और इस दावा "सुमन बनाम भूपराम आदि" को पूर्व दावा "कानाराम बनाम जगदीश" के साथ संलग्न करते हुए यह पत्रावली प्रतिप्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को साक्ष्य हेतु अवसर देने पर वादीगण द्वारा मुख्य परीक्षा में विजय कुमार, रूपा देवी व कानाराम के शपथ पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2019 पारित की जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2019 के विरुद्व पेश की है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. यह कि अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि चक 6 बीआरपी की 12.650 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के दादा रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा यानि 6.325 हैक्टेयर हिस्सा [illegible] बाद उनके चार वारिस पत्नी रामेश्वरी, पुत्र भूपराम–कानाराम व [illegible] को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। भूपराम जो हम अपीलां[illegible] दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि पैतृक सम्पति है जिस बाबत दस्तावे[illegible] वादीगण में विजय कुमार, रूपादेवी पत्नी भूपराम, कानाराम व [illegible] के बयान करवाए गए हैं। इन सभी साक्ष्य से यह प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति साबित है इसलिए इस प्रश्नगत भूमि में हम वादीगण/अपीलांट का जन्म से हक निहित होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी/रेस्पोडेंट भूपराम के नाम दर्ज भूमि में हमारा 4/5 हिस्सा का हक है। इस भूमि में दादा रामचन्द्र के फौत होने के बाद 1/4 हिस्सा यानि 1.581 हैक्टेयर एवं दादी रामेश्वरी के फौत होने के बाद .527 हैक्टेयर हिस्सा कुल 2.108 हैक्टेयर हिस्सा में हम अपीलांट का 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी भूपराम का 1/5 हिस्सा का हक है। इस प्रकार हम अपीलांट का 1.686 हैक्टेयर व रेस्पोडेंट/प्रतिवादी भूपराम का 0.421 हैक्टेयर हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2010 को हम वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित करते हुए 1.685 हैक्टेयर का हिस्सा घोषित कर दिया था। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया गया जो स्वीकार किया जाकर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय व डिक्री दिनांक 6.04.2012 को वाद वादीगण स्वीकार कर हम अपीलांटगण को 1.685 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया गया तथा भूपराम को 0.423 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया गया एवं प्रतिवादी संख्या–5 के पक्ष में हुए बैयनामा को शून्य मानते हुए नाम कलमजन करने के आदेश दिये गये। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रतिवादी जगदीश ने श्रीमान न्यायालय में अपील पेश की जो दिनांक 09.11.2017 को आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2012 को निरस्त करते हुए यह प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रश्नगत बैयनामा भूपराम द्वारा कर्ता खानदान की हैसियत से परिवार की जायज आवश्यकताओं एवं हित के लिए बेचान किया गया है या नहीं, इस तथ्य को पक्षकारों की साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर अभिनिर्धारित किया जावे। प्रश्नगत भूमि के तथाकथित प्रथम क्रेता प्रतिवादी संख्या–5 वादीगण के तथ्यों का कोई विरोध नहीं किया गया उसने कोई जवाबदावा भी पेश नहीं किया। इस क्रेता प्रतिवादी के बयान भी नहीं हुए तथा तथाकथित बैयनामा दिनांक 18.06.2001 को साबित करने के लिए स्वयं खरीददार व इसके गवाह भी पेश नहीं हुए। इस भूमि का द्वितीय बेचान प्रतिवादी संख्या–4 जगदीश के पक्ष में किया गया। उस द्वारा भी बैयनामा को साबित करने के लिए कोई गवाह पेश नहीं किये गये। इन दोनों बैयनामा को प्रतिवादीगण द्वारा साबित नहीं किया गया है व ना ही कोई अनुप्रमाणक साक्ष्य करवाए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में आज्ञापक प्रावधान है कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्ष्य आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा की दफा 2 व 6 में दिये गये तथ्यों को साबित करने का भार इन प्रतिवादीगण पर था। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.11.2017 के पैरा ... के आदेश की पालना में भी प्रतिवादी को साक्ष्य पेश कर... तथ्यों को साबित करने के लिए कोई मौखिक व द... किये हैं जबकि हम अपीलांटगण ने श्रीमान न्यायालय के आदेश की पालना ... समस्त तथ्यों को साबित किया है। रिमांड होने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य वादी में वादी विजय कुमार, माता रूपादेवी पत्नी भूपराम व कानाराम पुत्र रामचन्द्र के साक्ष्य करवाए हैं। इन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

साक्ष्य में इन तीनों ने एवं भूपराम ने यह अंकित किया है कि तथाकथित बैयनामा बिना रूपये दिये धोखे से करवाए हैं। इन बैयनामों में दर्ज भूमि के बदले में न तो किसी प्रकार का प्रतिफल दिया गया है तथा न ही भूमि का कब्जा दिया गया है इसलिये ये बैयनामें शुन्य है। प्रतिवादी भूपराम के बच्चे नाबालिग थे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं इन सबका उक्त भूमि से अच्छे तरह से गुजारा हो जाता है। भूपराम की पुत्री का सन् 2014 में शादी की है। प्रतिवादी भूपराम को किसी प्रकार का कर्जा लेने व उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रतिवादी संख्या–5 के यहां आढ़त थी इसलिए उसने धोखे से तथाकथित बैयनामें करवाए हैं जो प्रभावहीन है। प्रथम बैयनामा शुन्य होने के कारण इसके पश्चात के बैयनामें भी शुंन्य है। श्रीमान न्यायालय द्वारा रिमांड करने के बाद प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य नहीं करवाई गई है तथा साक्ष्य वादी में प्रस्तुत गवाहों की इन्होनें जिरह भी नहीं की है। प्रतिवादी बिना साक्ष्य के इनका जवाबदावा व तथ्य साबित नहीं माने जायेंगे। अपीलांट द्वारा श्रीमान न्यायालय में दिनांक 26.11.2019 को यह अपील पेश की गई। इस अपील के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 4, 5 व 20 ने आपस में मिलीभगत कर दिनांक 29.05.2020 को एक तीसरा तथाकथित बैयनामा प्रश्नगत भूमि का ओर करवा लिया जिससे इनको कोई हक हासिल नहीं होते हैं। दौराने अपील रेस्पोडेंट संख्या–20 के पक्ष में करवाया गया बैयनामा शुन्य है। धारा 52 टी.पी.एक्ट के तहत न्यायालय में स्थावर सम्पति के विषय में वाद या कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान जिसमें स्वत्त्व का विनिश्चय प्रश्न निहित हो तो प्रश्नगत सम्पति का अन्तरण किसी पक्षकार के अधिकारों के प्रभावित करने वाला हो तो वह शुन्य होगा। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा में अंकित यह तथ्य कि भूपराम ने अपने नाबालिग बच्चों का हिस्सा जरिये माता के बेचान किया है। प्रतिवादीगण ने इस तथ्य कतई साबित नहीं किये गये हैं तथाकथित बैयनामा दिनांक 18.06.2001 को अपीलांट नाबालिग थे। इनकी माता रूपादेवी के इस बैयनामें पर कहीं हस्ताक्षर नहीं है और न ही माता की सहमति है। नाबालिग का हिस्सा संरक्षक व कोई व्यक्ति बेच नहीं सकता उसे न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। तथाकथित बैयनामा दिनांक 18.06.2021 को अपीलांट नाबालिग थे एवं अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश करने के समय नाबालिग थे इसलिए नाबालिगों का हिस्सा को बेचान अवैध है। प्रतिवादी भूपराम का प्रश्नगत भूमि में 0.423 हैक्टेयर हिस्सा था उसने हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान किया है इसलिये यह बैयनामा शून्य एवं प्रभावहीन है। इसके बाद वे दोनों बैयनामें भी शुन्य व प्रभावहीन है। अ[illegible] लिखित बहस पेश कर अपील स्वीकार कर निर्णय व डिक्री [illegible] स्वीकार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने [illegible] में न्यायिक दृष्टांत RRD-1993 Page 246, RRD-1992 Page 658, RRD-1990 Page 425, RRD-1981 Page 512, RRD-2014 Page 74, DNJ-2000 (3) HC Page

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1357, RRD-1985 Page 274, RRD-1984 Page 851, RRT-2018 (1) Page 859 पेश किये।

5. यह कि रेस्पोडेंट संख्या–20 ने इस न्यायालय में लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें कथन किया कि भूपराम ने 6.325 हैक्टेयर भूमि में रेस्पोडेंट संख्या–5 को जो भूमि विकय की है वह बतौर कर्ता खानदान विकय की है। अपीलांट का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि अपीलांट का उपरोक्त भूमि में जन्म से हक निहित हो। संजीव के पक्ष में हुआ बैयनामा दिनांक 08.06.2001 का है जबकि सन् 2001 में लड़कियों का पैतृक सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं था। उपरोक्त 6.325 हैक्टेयर में भूपराम को .520 हैक्टेयर कृषि भूमि उसकी माता से प्राप्त हुई है जो उसकी स्वःअर्जित सम्पति है। इस प्रकार भूपराम के पास कुल 2.101 हैक्टेयर कृषि भूमि थी तथा भाईयों के साथ हुए घराघरू बंटवारा में भूपराम के भाई कानाराम को मात्र 8 बीघा भूमि ही प्राप्त हुई इस तथ्य को कानाराम ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उसके अकेले के हिस्से में 8 बीघा जमीन आती है तथा भूपराम की बहन विजेश्वरी को भी घरू बंटवारा में 8 बीघा भूमि प्राप्त हुई है 9 बीघा भूमि अकेले भूपराम को प्राप्त हुई है। जबकि भूपराम द्वारा करवाया गया बैयनामा 6 बीघा 5 बिस्वा का है। भूपराम ने उक्त बैयनामेंजात में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उसे आवश्यकता जायज रूपयों की सख्त जरूरत है इसलिए वह उपरोक्त भूमि विकय कर रहा है एवं अपने परिवार का कर्ता था। इस सम्बंध में गवाह कानाराम से हुई जिरह में यह तथ्य स्वीकार किया है कि भूपराम व उसके बच्चे एकसाथ रहते हैं तथा भूपराम ही सार संभाल व भरण पोषण करता है। भूपराम द्वारा संजीव कुमार को विकय भूमि का रजिस्टर्ड बैयनामा करवाया गया है। अपीलांट ने अपने वाद पत्र की दफा–9 में यह कथन किये हैं कि प्रतिवादी संख्या–1 जो अनपढ़ है तथा प्रतिवादी संख्या–5 के आढ़त की दुकान है जहां प्रतिवादी भूपराम अपनी फसल बेचता था। इस दुकान पर प्रतिवादी संख्या–4 जगदीश का लेन देन है तथा जिसका प्रतिवादी संख्या–5 से घनिष्ठ सम्बंध है। हीरालाल पुत्र बीरबलीराम जाति सुंनार जो प्रतिवादी संजीव का सगा चाचा है तथा कृष्ण पुत्र भागीरथ बिश्नोई का भी प्रतिवादी संजीव की दुकान पर लेन देन व आढ़त है। इन्होनें एकराय होकर प्रतिवादी संख्या–12 को धोखा में रखकर एक विधि विरूद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 18.06.2001 प्रतिवादी संख्या–5 संजीव के पक्ष में तहरीर व तस्दीक करवा लिया। प्रतिवादी संख्या–1 भूपराम को इस [illegible] के बारे में नहीं बताया गया और न ही भूपराम को इसकी ज[illegible] बैयनामा दिनांक 18.06.2001 के समय प्रतिवादी संख्या–1 क[illegible] .318 हैक्टेयर [illegible] जबकि बैयनामा .181 हैक्टेयर का करवाया गया है। प्रतिवादी द्वारा करवाया [illegible] बैयनामा हिस्सा से अधिक भूमि का होने के कारण अवैध व प्रारम्भतः ही शून्य है जो वादीगण के अधिकारों पर प्रभावहीन है। तत्पश्चात दफा–11 में यह कथन किये हैं कि प्रतिवादी संख्या–4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पक्ष में बैयनामा भी अवैध शून्य व वादीगण के अधिकारों पर प्रभावहीन है। अपीलांट/वादीगण ने अपने वाद पत्र में फ्रॉड की प्ली ली है। कानूनन फ्रॉड के आधार पर हुए बैयनामें के सम्बंध में सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। इसके अलावा रेस्पोडेंट भूपराम ने अपनी जायज आवश्यकता हेतु उपरोक्त भूमि बतौर कर्ता विक्रय की है। संजीव के पक्ष में हुआ बैयनामा शून्य नहीं है बल्कि शून्यकरणीय है। शून्यकरणीय दस्तावेज को अवैध व शून्य अथवा निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। अपीलांट ने उक्त मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट द्वारा वर्णित निर्णय दिनांक 19.01.2010, दिनांक 16.08.2012 को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया व 16.04.2012 को पारित निर्णय व डिक्री को भी माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया, लेकिन अपीलांट की ओर से साक्ष्य के रूप में मात्र शपथ पत्र पेश किये गये व जिरह हेतु अपीलांट की ओर से प्रस्तुत गवाह उपस्थित नहीं हुए इसलिए उक्त शपथ पत्रों को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। माननीय न्यायालय ने इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि बर्तार कर्ता खानदान की हैसियत से परिवार की आवश्यकताओं व हित के लिए बेचान किया या नहीं व संजीव कुमार के पक्ष में हुए बैयनामों में भूपराम ने जायज जरूरत होने के तथ्य को स्वीकार किया था। वादीगण को यह साबित करना था कि भूपराम कर्ता खानदान नहीं है तथा न ही उसे रूपयों की आवश्यकता थी बल्कि इसके विपरीत कानाराम ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि भूपराम ही कर्ता खानदान है और परिवार की सार संभाल भूपराम ही करता है। वादीगण ने इस सम्बंध में कोई साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। यदि अपीलांट/वादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की जाती तो उसका खण्डन रेस्पोडेंट को करना आवश्यकता था, लेकिन जब इस सम्बंध में वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य ही पेश नहीं की गई। वादीगण को अपने पैरों पर खड़ा होना है वह प्रतिवादी की कोई कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज के प्रभाव में रहते वादीगण को हस्तगत वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी की ओर से बयान करवाये गये है। बैयनामेजात रजिस्टर्ड दस्तावेज है रजिस्टर्ड दस्तावेज को साबित करवाने के लिए अन्य गवाहों की आवश्यकता नहीं थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होती। क्योंकि अपीलांट ने अपने वाद पत्र में इससे अधिक बैयनामा होने के कथन किये हैं। प्रतिवादी संजीव के पक्ष में हुआ बैयनामा रजिस्टर्ड बैयनामा है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] विवाधक विरचित किये गये हैं। अपीलांट ही अधीनस्थ न्यायालय [illegible] आये थे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को वादीगण [illegible] वादीगण की ओर से प्रस्तुत एक मात्र गवाह रूपादेवी थी जिसने [illegible] गवाही में यह स्पष्ट कथन किये हैं कि उसे बैयनामों का ज्ञान नहीं है व नकलें किसने ली उसे पता नहीं है वाद पत्र में किये गये कथनों का भी उसे ज्ञान नहीं है। वादी ने रिमांड होने के पश्चात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से विजय कुमार, रूपादेवी व कानाराम के जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये, उस पर जिरह हेतु वे उपस्थित नहीं आये। धोखे से करवाने व कोई प्रतिफल अदा नहीं होने के सम्बंध में इस न्यायालय को निर्णित नहीं करना जबकि यह सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। बैयनामा शून्य नहीं है बल्कि शून्यकरणीय है। वादीगण एक तरफ तो प्रतिवादी संख्या–5 के साथ आढ़त होना स्वीकार करते हैं तथा उसके साथ लेन देन होने के कथन करते हैं जो सिविल न्यायालय द्वारा ही देखा जाना था, लेकिन वादीगण ने उक्त बैयनामा को चुनौती आज तक नहीं दी है। उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 20 के पक्ष में हुए बैयनामेजात साधिकारपूर्ण व विधि सम्मत है। रेस्पोडेंट संख्या–20 ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत CCC- 2015(1) Page 542, CCC -2015(1) Page 515, RRD-2001 Page 258, DNJ-2021(1) Raj. Page 174] RRD-1995 Page 113, DNJ-2013(1) Raj. Page 359, RRD-1988 Page 312, DNJ-2016(3) Raj. Page 1244,DNJ-2021(2) Raj. Page 610, RLW-2011(2) Raj. Page 1075, RLW-2012(2) Raj. Page 1227, CCC -2016(1) (SC) Page 127, RLW-2008(2) Raj. Page 849, RRD-1985 Page 548 पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.2017 को निर्णय पारित कर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित की थी कि प्रश्नगत बैयनामा भूपराम द्वारा कर्ता खानदान की हैसियत से परिवार की जायज आवश्यकताओं अथवा हित के लिये बेचान किया गया है या नहीं, इस बिन्दु पर पक्षकारों को सुनकर अभिनिर्धारित करें व भूपराम द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की वैधानिकता पर वाद में विरचित विवाधकों का पुनः परिशीलन करते हुए समुचित आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से साक्ष्य में कानाराम पुत्र रामचन्द्र, रूपाराम पुत्र भूपराम, विजय कुमार पुत्र भूपराम के शपथ पत्र पेश किये लेकिन उक्त गवाहों से अपीलांट ने प्रतिपरीक्षा नहीं करवाई इसलिए उक्त शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में पढ़े नहीं जा सकते। गवाह कानाराम ने दिनांक 21.03.2011 को हुई जिरह में यह कथन किये हैं कि भूपराम व उसके बच्चे [illegible] ही सारे परिवार का भरण पोषण करता है। अपीलांट ने अपने वादप[illegible]–9 में रेस्पोडेंट संख्या–5 के साथ आढ़त होने व उसके [illegible] होने व [illegible] संख्या–5 के घनिष्ठ सम्बंध होने के कथन किये हैं तथा [illegible] यह बैयनामा करवाने के कथन किये हैं। रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा रेस्पो[illegible] संख्या–5 के पक्ष में करवाया गया बैयनामा रजिस्टर्ड बैयनामा है। प्रतिवादी संख्या–5 ने उपरोक्त भूमि का बैयनामा रेस्पोडेंट संख्या–4 के पक्ष में करवा दिया तत्पश्चात् रेस्पोडेंट संख्या–4 ने उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि का बैयनामा रेस्पोडेंट संख्या–20 के पक्ष में करवा दिया। रेस्पोडेंट संख्या–4 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बैयनामा शून्य नहीं है बल्कि शून्यकरणीय है जिसको निरस्त करवाए बिना राजस्व न्यायालय कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकती। शून्यकरणीय बैयनामा को निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय तनकीवार पारित किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2019 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 01.07.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/7/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested